झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना संख्या–06/06–ज०वि०प्र० (नीतिगत)–01/2017–खा०आ० –777, दिनांक 07.03.2019 के द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 का गठन किया गया है।

2. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका–38 में यह प्रावधानित है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों के सफल व सुचारू संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु भविष्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त इस आदेश के नीतिगत मामलों में यथा आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका–20 (xxii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

"अनुज्ञप्ति निलम्बन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी। अनुज्ञप्ति निलम्बन के 90 दिनों के अन्दर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त इस विषय में अंतिम निर्णय लेना आवश्यक होगा।"

4. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका–21(i) के अंत में निम्नवत् अंश जोड़ा जाता है–

"लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा किसी भी परिस्थिति में प्रातः 07:00 बजे से पूर्व एवं अपराह्न 06:00 बजे के उपरान्त सरकार द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न/नमक/चीनी/किरासन तेल/अन्य सामग्रियों का वितरण नहीं किया जायेगा।"

5. झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 की कंडिका–9(x) के रूप में निम्नवत् नया अंश जोड़ा जाता है–

"प्रत्येक जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित प्रति जन वितरण दुकान राशन कार्डों की औसत संख्या के आधार पर सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में कार्डों की टैगिंग की जाय। किसी भी परिस्थिति में किसी भी दुकानदार के कार्डों की संख्या में 10 प्रतिशत से अधिक का विचलन नहीं होना चाहिए। "

6. उपर्युक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

D:\C.O. Food\Vikash Kumar-2019-20\ASO R. Nitant Ji\PDS Control Order Amendment\Notificatioin.docx

ज्ञापांकः— 06 / ज०वि०प्र०(नीतिगत)—03 / 2019—खा०आ० / राँची, दिनांक —

प्रतिलिपि— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित किया जाय।

ह0 /-

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 06 / ज०वि०प्र०(नीतिगत)—03 / 2019—खा०आ० 2045 / राँची, दिनांक — 12/07/19

प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सरकार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची / निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशाल, राँची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी उप निदेशक (खाद्य) / अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची / जमशेदपुर / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/19

सरकार के सचिव।

D:\C.O. Food\Vikash Kumar-2019-20\ASO R. Nitant Ji\PDS Control Order Amendment\Notificatiom.doc2